(ख) यदि जन्म का वर्ष ज्ञात हो, किन्तु निश्चित तारीख ज्ञात नहीं हो तो 1 जुलाई को जन्म की तारीख माना जायेगा। यदि महीना भी ज्ञात हो किन्तु तारीख ज्ञात न हो तो महीने की 16 तारीख को जन्म की तारीख माना जायेगा।

(ख) जन्म की तारीख में परिवर्त्तन – इन नियमों के अनुसार एक बार जो जन्म की तारीख लिख दी जायगी, वही पक्की मानी जायगी और उसमें आमतौर पर कोई परिवर्त्तन की इजाजत नहीं होगी, किन्तु जन्म की तारीख में निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवर्त्तन कर सकते है।

(i) इस बारे में नौकरी में आने के 10 साल के अंदर निवेदन किया जाय।

(ii) यह स्पष्ट हो जाय कि सचमुच वाजिब गलती हो गई थी।

(iii) तिथि में परिवर्त्तन के कारण ऐसा न हो कि वह स्कूल, युनिवर्सिटी या संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए, जिसमें वह बैठ चुका है, अनुपयुक्त हो जाय या वह सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि को इस परिवर्त्तन की वजह से अनुपयुक्त हो जाय।